न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/05/2024	2024/09	31–01–2024	26–06–2024

1–श्रीमती नुमादेवी पत्नी स्व0 श्री भजन लाल सैनी निवासी ग्राम भाखेडा तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार (भू–अभिलेख) अलवर जिला अलवर राज0। –असल रेस्पोडेन्ट

2–कमेलश पुत्री स्व0 श्री भजनलाल सैनी,
3–अनिता पुत्री स्व0 श्री भजनलाल सैनी,
4–माया पुत्री स्व0 श्री भजनलाल सैनी,
5–कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री भजनलाल सैनी निवासीयान ग्राम भाखेडा तहसील अलवर।

–तरतीबी रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्व तहसीलदार अलवर इंतकाल सं0 606 दिनांक 22.02.2018 ग्राम गुजूकी तहसील अलवर।

उपस्थितः–

1.श्री दलेर सिंह एडवोकेट। –वकील अपीलान्ट

::– निर्णय –::

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 22.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 606 वाके ग्राम गुजूकी व इंतकाल सं0 606 ग्राम गुजूकी दिनांक 22.02.2018 तरफ तहसील अलवर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टा के पति व तर0 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 05 के पिता श्री भजन लाल की खातेदारी की कुछ आराजी ग्राम गुजूकी तहसील अलवर में स्थित थी। उक्त श्री भजन लाल का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके स्वर्गवास होने के पश्चात उसका इन्तकाल विरासत संख्या 606 केवल तर0 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 05 के नाम खोला गया। जिस इन्तकाल को साहब तहसील अलवर ने बिना वारिसान के बारे में कोई जांच किये हुऐ, अपने आदेश दिनांक 22.02.2018 के तहत केवल तर0 रेस्पोडेन्ट के हक में स्वीकृत किये जाने का आदेश अपीलांट के बाला–बाला इकतरफा में सादिर फरमाया है। जिसकी बाबत अपीलांट को कोई जानकारी हासिल नही हो सकी। हाल ही में दिनांक 02.01.2024 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को सर्वप्रथम इस बात की जानकारी हुई कि उक्त इन्तकाल में मिन अपीलांट ने अपने पुत्र कन्हैया लाल के जरिये दिनांक 02.01.2024 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कराया, जिस पर दिनांक 02.01.2024 को सायंकाल नकल प्राप्त होने पर यह अंदर मियाद पेश है। दिनांक 22.02.2018 से दिनांक 02.01.2024 तक का समय जानकारी के अभाव में धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। अधिनस्थ न्यायालय कतई गलत व खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। तहसीलदार अलवर ने विवादित इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व वारिसान के बारे में कोई जांच नही की और ना ही मिन अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया, जबकि मिन अपीलांट स्व0 श्री भजन लाल की विवाहिता पत्नी है और उसकी बेवा होने के कारण उसकी समस्त आराजी में अन्य वारिसान के साथ–साथ मिन अपीलांट का भी समान भाग व समान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हिस्सा कानूनी तौर पर बनता है। इसलिए उक्त इन्तकाल तर0 रेस्पोडेन्ट के साथ–साथ मिन अपीलांट के हक में भी बहिस्से बराबर–बराबर स्वीकृत किये जाने योग्य था। जो काबिल गौर श्रीमान है। तर0 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायात 05 को भी स्व0 श्री भजन लाल का इन्तकाल मिन अपीलांट के नाम भी बहिस्से बराबर–बराबर स्वीकृत किये जाने में कोई अपात्ति व ऐतराज नही है। स्व0 श्री भजनलाल की खातेदारी की समस्त आराजी पर तर0 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायात 05 के साथ–साथ मिन अपीलान्टा का कब्जा भी मौके पर चला आ रहा है, इसलिए बलिहाज मौका व कब्जा उक्त इन्तकाल मिन अपीलांट के नाम भी स्वीकृत किया जाना कानूनन व न्याय हित में आवश्यक है। शेष उजात वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 606 ग्राम गुजूकी तहसील अलवर को संशोधित फरमाते हुये, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 05 के साथ–साथ मिन अपीलांट के नाम व मिन अपीलांट के हक में स्वीकृत फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। वकील तरतीबी रेस्पोडन्ट्स अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्टा द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरूद्व दिनांक 11.01.2024 को पेश की गई है। जो करीब 06 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। देरी की अवधि को कन्डोंन किये जाने हेतु दिन–प्रतिदिन का हिसाब दिया जाना होता है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर नरमी का रूख अपनाते हुये अपील अपीलान्टा अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड की प्रति अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलान्टा के पति का नाम भजनी दर्ज है। विवादित नामान्तकरण सख्या 606 ग्राम गुजूकी तहसील अलवर की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया,जो अपीलान्टा के पुत्र कन्हैयालाल के नाम से जारी हुई है, जिसके बारे मे अपीलान्टा द्वारा अपनी अपील मे दर्ज किया है कि उनके पुत्र से उन्होने विवादित नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.01.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कराया था। उक्त तथ्यो के आधार पर अपीला अपीलान्टा स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर तहसील अलवर का आदेश दिनांक 22.02.2018 इंतकाल संख्या 606 वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर निरस्त किया जाता है। तथा अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि अपीलान्टा के दस्तावेजात का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)